निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

निर्णय दिनांकः—08.02.2021

मु0नं0 159/19

1. राजबीर पुत्र स्व0 माड़ूराम आयु 28 साल जाति जाट निवासी स्यालू कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

——वादीगण

बनाम

1. भगवाना राम आयु 80 वर्ष पुत्र स्व0 कालू
2. गजानन्द आयु 78 साल पुत्र स्व0 कालू
3. रामनारायण आयु 72 साल पुत्र स्व0 तेजाराम
4. विनोद आयु 40 साल पुत्र स्व0 माड़ूराम
5. सज्जन आयु 35 साल पुत्र स्व0 माड़ूराम
6. मु0 बिमला आयु 32 साल पुत्री माड़ूराम
7. मु0 सुमन आयु 24 साल पुत्री स्व0 माड़ूराम
8. श्रीमती सरबती आयु 60 साल बेवा माड़ूराम
9. श्रीमती सन्जू देवी आयु 20 साल स्त्री स्व0 माड़ूराम
   समस्त जाति जाट निवासी स्यालू कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
10. यश आयु 8 साल पुत्र स्व0 सत्यवीर नाबालिक जरिये सरक्षंक माता श्रीमती सन्जू देवी स्त्री स्व0 सत्यवीर जाति जाट निवासी स्यालू कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
11. हर आम ओर खास।
12. मृतक पितराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी स्यालू कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
13. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

——————प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण – श्री सन्दीप मान

प्रतिवादीगण – श्री सुनिल शर्मा

दावा घोषणा रिकार्ड दुरस्ती एवं विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में तथ्य वाद इस प्रकार है कि स्यालू कलां में कालू पुत्र हीरा नामक व्यक्ति हुआ। उक्त कालू का भाई हरनन्द था। उक्त हरनन्द व उसकी स्त्री का देहान्त हो गया। उक्त हरनन्द के एक लड़का पितराम हुआ। उक्त पितरा[illegible]सीयती व नाओलाद फोत हो गया। उक्त कालू पुत्र हीरा का व [illegible] गया। उक्त कालू के तीन लड़के हुए तेजाराम व प्रतिवादी [illegible]नन्द हुए। उक्त तेजारा[illegible] पुत्र कालू व उकी स्त्री का भी देहान्त हो गया। उक्त [illegible]राम पुत्र कालू के विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादी न0 3 व माड़ूराम हुए। उक्त माड़ूराम पुत्र तेजाराम का देहान्त हो गया। माड़ूराम के विधिक प्रतिनिधिगण वादी व प्रतिवादीगण न0 4 लगायत 8 व सत्यवीर पुत्र, पुत्री व स्त्री होने से हुए। उक्त सत्यवीर पुत्र माड़ूराम का भी देहान्त हो गया । उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:29:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सत्यवीर के विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादी न0 9,10 पुत्र व स्त्री होने से हैं। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण न0 4 लगायत 10 माडूराम के विधिक प्रतिनिधिगण हैं। इस प्रकार उक्त कालू के विधिक प्रतिनिधिगण वादी व प्रतिवादीगा न0 1 लगायत 10 हैं।

जमीन गत खसरा न0 23 रकबा 14 बीघा 1 बिश्वा, जमीन गत खसरा न0 35 रकबा 23 बीघा 6 बिश्वा वाके ग्राम स्यालू कलां स्थित हैं। उक्त जमीन गत खसरा नम्बर को तत्कालीन ठिकाना से लगान के बदले वादी व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 10 के पूर्वज कालू पुत्र हीरा ने ली थी तथा उक्त कृषि भूमि का राजस्थान सरकार को अदा किया। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि का शुरू से ही कालू खातेदार काश्तकार था तथा अपने जीवनकाल तक उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त रहा। उक्त कालू के देहान्त हो जाने के बाद उसकी कृषि भूमि उतराधिकार में प्रतिवादी न0 1 व 2 तथा प्रतिवादी न0 3 व वादी व प्रतिवादी न0 4 लगायत 10 के पूर्वज माडूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रतिवादी न0 3 व वादी व प्रतिवादी न0 4 लगायत 10 का पूर्वज माडूराम के पिता तेजाराम का देहान्त उसके पिता कालू के जीवनकाल में ही हो गया था। इस कारण उक्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी न0 3, 4 लगायत 10 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। उक्त गत खसरा न0 23 रकबा 14 बीघा 1 बिश्वा का कोई विवाद नही है जो बाद में उक्त कालू के वारिशों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई तथा जमीन गत खसरा न0 35 रकबा 23 बीघा 6 बिश्वा के दौराने भू–प्रबन्ध हाल खसरा न0 37 रकबा 1.50 है0, हाल खसरा न0 59 रकबा 4.19 है0 , हाल खसरा नम्बर 60 रकबा 1.29 है0 बने हैं। इस प्रकार जमीन गत खसरा न0 35 रकबा 23 बीघा 6 बिश्वा में से मैट्रिक रकबा 0.85 है0 जमीन हाल खसरा न0 60 रकबा 1.29 है0 में शामील कर दिया और उसकी खातेदारी प्रतिवादी न0 12 पितराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को किसी खातेदार की खातेदारी खत्म करने का व किसी को खातेदारी देने का क्षेत्राधिकार नहीं था। राजस्व रिकार्ड की पुनरावृती ही करनी चाहिए थी। भू–प्रबन्ध विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर हाल खसरा न0 60 की खातेदारी अकेले प्रतिवादी न0 12 के नाम दर्ज की दी। इस प्रकार जमीन हाल ख0 न0 60 रकबा 1.29 है0 पश्चिमी हिस्से में से रकबा 0.85 है0 में वादी का 1/42 हिस्सा, प्रतिवादी न0 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी न0 2 का 1/3 हिस्सा है। इसी मुताबिक घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है।

भू–प्रबन्ध के कर्मचारियों ने जमीन हाल खसरा न0 60 का राजस्व रिकार्ड गलत बना दिया ओर गलत राजस्व रिकार्ड वादी के अधिकारों के खिलाफ नल एण्ड वोईड है। उक्त जमीन जेर बहस पर वादी व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 10 का सदैव से कब्जा काश्त है। दिनांक 05.09.2019 को वादी हल्का पटवारी से मिला, पटवारी ने बताया कि आपकी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में कम दर्ज है। इस पर वादी ने उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड निकलवाया तब पता चला की खसरा न0 60 में से रकबा 0.85 है0 भूमि प्रतिवादी न0 12 के नाम से दर्ज है। इस कारण दावा वादी को अपने राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:29:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदारी हकूक तैय करवाने हेतु अदालत हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ। जमीन हाल खसरा न0 60 का सम्पूर्ण रकबा प्रतिवादी न0 12 पितराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। और उक्त पितराम निर्वसीयती नाओलाद फोत हो गया जिसके कानून से नजदीकी परिवार के सदस्त वादी व प्रपितवादीगण न01 लगायत 10 है फिर भी दावे में कोई कानूनी कमी नहीं रहे इस कारण दावा में हर आम व खास को पक्षकार बनाया गया हैं तथा प्रतिवादी न0 12 को दावे के तथ्यों को समझने के कारण पक्षकार दावा बनाया गया है। दावा राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 की धारा 88,92ए व 188 के तहत पेश किया गया। दावा पेश कर निवेदन किया गया की जमीन हाल खसरा न0 60 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम स्यालू कलां तहत तहसील सूरजगढ़ में रकबा 0.85 है0 पश्चिम हिस्से की अलग कर 0.85 है0 में वादी को 1/42 हक हिस्से का, प्रतिवादी न0 1 को 1/3 हक हिस्से का , प्रतिवादी 2 को 1/3 हक हिस्से का , प्रतिवादी न0 3 को 1/6 हक हिस्से का, प्रतिवादी न0 4 लगायत 8 को 5/42 हक हिस्से का तथा प्रतिवादी न0 9 व 10 को 1/42 हिस्से का कोटिनेन्टस (सह आसामी) की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती बाबत प्रतिवादी न0 13 को भेजी जावें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की सिद्दि भी चाही ।

इस प्रकार दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण के नोटिस भेजकर सूचना दी गई। सूचना के उपरान्त प्रतिवादीगण न0 1 व 2 व 4 लगायत 9 की तरफ से जवाब दावा पेश हुआ और दावा डिक्री करने में अनापत्ति की तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आये उनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 स्वयं का शपथ पत्र बयान चीफ पेश किया ओर अपने दावे के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा सीट गत प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा सीट हाल प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2026 प्रदर्श–6, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2030 प्रदर्श–7, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 प्रदर्श–8, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिशोधन पत्र प्रदर्श–9, प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी सम्वत 2044 से 2063 प्रदर्श–10, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050 प्रदर्श–11, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 प्रदर्श–12, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 प्रदर्श–13, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 प्रदर्श–14, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 प्रदर्श–15, प्रमाणित प्र[illegible] [illegible]बन्दी सम्वत 2067 से 2070 प्रदर्श–16, असल अखबार सा[illegible] दिनांक 05.12.2019 प्रदर्श–17 दस्तावेजात प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:29:11 IST
Reason: SelfAttested

वादी की बहस सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये दावा डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं साक्ष्या सबुत में प्रस्तुत दस्तावेजो से यह प्रतीत होता है की जमीन गत खसरा न0 35 रकबा

Scanned with CamScanner

23 बिघा 6 बिश्वा की खातेदारी पहले वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 10 के पूर्वज कालु पुत्र हिरा के नाम खातेदारी थी उक्त गत खसरा न0 से दौराने सेटलमेन्ट जमीन हाल खसरा नम्बर 60 रकबा 1.29 है0 में 0.85 है0 शामील कर दी और हाल खसरा न0 60 की सम्पूर्ण खातेदारी गलती से प्रतिवादी न0 12 के नाम दर्ज कर दी कानून से सेटलमेन्ट विभाग को उक्त कालु की व उसके वारिसों की भूमि रकबा 0.85 है0 की खातेदारी खत्म करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। इस प्रकार दावा डिकी किया जाता है।

आदेश

वाद वादी डिकी किया जाकर जमीन हाल खसरा न0 60 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम स्यालू कला तहत तहसील सूरजगढ़ में रकबा 0.85 है0 पश्चिम हिस्से की अलग कर 0.85 है में वादी को 1/42 हिस्से का , प्रतिवादी न0 1 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी न0 2 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी न0 3 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी न0 4 व 8 को 5/42 बहिस्सा का, प्रतिवादी न0 9 व 10 को 1/42 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त अनुसार तहरीर तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु भेजी जावे। इसी प्रकार पर्चा डिकी मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:29:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner